NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

STATESMAN, Bhubaneswar, 4.11.2024
Page No. 3, Size:(20.61)cms X (17.99)cms.

NHRC notice to Bhadrak DM over lack of amenities at Consumer Forum

STATESMAN NEWS SERVICE
BALASORE, 3 NOVEMBER:

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the District Magistrate, Bhadrak, on the issue of lack of toilets and other basic amenities in the district Consumer Forum. The rights panel has called for submission of an action taken report within four weeks.

Acting on a petition filed by advocate and Human Rights activist, Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order. Tripathy raised concerns about the pathetic condition of the public amenities in the Bhadrak district Consumer Forum which lacks basic infrastructure such as hygienic toilets, potable drinking water and a clear entrance due to encroachment by illegal vendors.

The petition stated the court's dilapidated condition, poor accessibility, and lack of public awareness violate the human rights of the 15 lakh residents and justice-seeking consumers of the district.

Tripathy has requested intervention from the Commission to improve the situation. The petition mentions the precarious condition prevailing in the Forum meant for justice delivery for the Consumers, mostly from the deprived strata of the district. Tripathy requested the Commission to ask the concerned public authorities to address the issue on top priority.

ORISSA POST, Bhubaneswar, 4.11.2024
Page No. 4, Size:(24.90)cms X (14.66)cms.

NHRC notice to Keonjhar DM over violation of human rights

POST NEWS NETWORK

Keonjhar, Nov 3: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the Collector of this district for denial of rights and harassment of physically-challenged persons in receiving their pension due to lack of communication and inaction on part of the local administration. It has asked the district Collector to ensure prompt remedial measures and submit the action taken report within a period of four weeks. Acting on a petition filed by human rights activist and Supreme Court advocate Radhakanta Tripathy, the NHRC issued the order.

The petitioner drew the attention of the NHRC towards a very disturbing video which went viral on social media platforms. In the video, a 74-year old destitute tribal lady, Pathuri Dehury, was seen crawling on the road for two kilometres to reach Raisun panchayat office under Telkoi block to collect her pension. The petitioner also mentioned about physically-challenged Madhav Jamuda, of Kuladera Village under Khuntapada block who also had to undergo a similar ordeal.

Tripathy has requested NHRC to ask the concerned public authorities to ensure pension at the doorsteps of the physically-challenged and also arrange wheelchairs for them. He also requested the Commission to direct the administration for construction of all-weather roads on top priority.

In a separate case, the rights body has also issued a notice to the principal secretary of the state Women and Child Development department to submit a status report of the functional toilets in all Anganwadi centres and the steps taken by it for construction of the same in the centres that do not have one.

The commission has also issued a notice to the district magistrate and ordered him to submit a pending report about the unfortunate demise of three children studying in an Anganwadi centre in this district. The deceased were Payal Patra, 3, Bharati Patra, 4, and Abhilipsa Patra, 3. Due to the absence of any toilet at the Anganwadi centre in Hatadihi block they were studying in they had gone out searching for one. In the process, they fell into an abandoned well full with water and drowned. The incident took place April 30, this year. The NHRC has asked whether compensation had been provided to the bereaved families and whether a toilet has been constructed at the centre. It has also issued an order asking all district collectors to construct toilets at those centres that do not have one.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Moradabad, 4.11.2024
Page No. 6, Size:(20.80)cms X (8.52)cms.

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को तलब किया

कानपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के चार साल पहले दिए आदेश का पालन न करने पर आयोग ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यदि आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 19 नवंबर तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो उन्हें 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल सकती है। वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में बैरक गिर गई थी। इसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Bareily, 4.11.2024
Page No. 7, Size:(18.14)cms X (7.41)cms.

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को तलब किया

कानपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के चार साल पहले दिए आदेश का पालन न करने पर आयोग ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यदि आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 19 नवंबर तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो उन्हें 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल सकती है। वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में बैरक गिर गई थी। इसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Agra, 4.11.2024
Page No. 7, Size:(19.71)cms X (8.07)cms.

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को तलब किया

कानपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के चार साल पहले दिए आदेश का पालन न करने पर आयोग ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यदि आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 19 नवंबर तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो उन्हें 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल सकती है। वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में बैरक गिर गई थी। इसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे।

HINDUSTAN, Kanpur, 4.11.2024
Page No. 2, Size:(8.97)cms X (5.53)cms.

मुख्य सचिव एनएचआरसी में तलब

बैरक प्रकरण

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एनएचआरसी के चार साल पहले दिए आदेश का पालन न करने पर आयोग ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यदि आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 19 नवंबर तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो उन्हें 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल सकती है।

वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में 105 वर्ष पुरानी अंग्रेजों के समय की बैरक गिर गई थी। इसमें एक सिपाही अरविंद कुमार की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद मृतक के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश किए गए थे। घटना के बाद इंजीनियर पंकज कुमार ने मानवाधिकार आयोग में 12 अक्टूबर 2020 को रिट दाखिल की थी जिस पर आयोग ने फैसला दिया था। अनेक नोटिसें जारी होने के बाद फैसला हुआ। निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची। उधर, याचिकाकर्ता की पैरवी जारी रही। आयोग ने 30 अक्टूबर को सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब करते हुए समन जारी करने के आदेश किए। यह भी स्पष्ट किया कि यदि क्रियान्वयन रिपोर्ट 19 नवंबर 2024 को या इससे पहले आयोग में जमा कर दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जा सकती है। याची पंकज कुमार ने कहा कि आयोग ने 30 अक्टूबर को सुनवाई कर आदेश लिखित रूप से जारी कर दिया है। आयोग के आदेश का पालन कर उसे जानकारी देनी ही पड़ेगी।

THE WIRE, Online, 4.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

How the NHRC Failed to Protect G.N. Saibaba

https://thewire.in/rights/how-the-nhrc-failed-to-protect-g-n-saibaba

Henri Tiphagne and Edgar Kaiser 7 hours ago 5 min read

The commission owes an apology to the people of this country for failing to prevent the death of a dedicated academician.

The story of Professor G.N. Saibaba is unique and heart-wrenching. A former English professor at the University of Delhi, a person with 90% disability and bound to a wheelchair, yet labelled an urban naxal by the state. Saibaba's disability did not stop him from fighting for the rights of Adivasis. Like the fate of many other human rights defenders (HRDs) in India, he was falsely implicated in a case and subjected to a long incarceration, despite two acquittals in the same case by the Bombay high court.

The prison conditions affected his health, which led to his death a few months after his release from jail. His death marks the failure of our judiciary, the government, prison authorities and the police. Most importantly, it is the failure of an independent body with a mandate to protect and promote human rights – the National Human Rights Commission (NHRC). Despite several appeals to the NHRC regarding Saibaba, the commission found every reason to dismiss them.

Human Rights Defenders Alert (HRDA) is a network that initiates action on behalf of HRDs under threat or with security concerns. The HRDA filed several complaints in this case before the NHRC but none reached their intended outcome. On September 13, 2013, the police raided Saibaba's residence inside Delhi University and put his whole family under house arrest in different rooms for around four hours, even threatening his daughter.

The HRDA filed an urgent appeal (Case No. 6191/30/4/2013) with the NHRC, praying for inquiry, protection and to ensure that no false criminal case is registered against Saibaba. No proper action was taken and the complainant was not heard for a year. Instead, the case was linked with one filed by Saibaba's wife, Ms Vasantha, after his arrest on May 9, 2014 (Case No.2850/30/4/2014). The commission sought arrest documents and Saibaba's medical reports and directed the Nagpur prison authorities to provide adequate medical treatment to him. The NHRC found the arrest documents to be proper despite a discrepancy in the place of arrest and said it found no reason to pursue the complaint and closed the case saying 'no further action required'.

On June 19, 2015, the HRDA filed a second urgent appeal with the NHRC regarding his poor living conditions in prison. He was lodged in an 'Anda' barrack of Nagpur prison and went on a hunger strike on April 11, 2015 to demand proper medical treatment and

food. The HRDA prayed for an independent investigation into his prison conditions, appointment of non-official visitors and action against the prison authorities. However, the NHRC dismissed the appeal. On January 2, 2016, the HRDA filed a third urgent appeal with the NHRC regarding the violation of his right to bail and inhumane treatment in jail, despite his disability. The HRDA requested independent prison visits, an investigation into false charges, NHRC's intervention in accordance with Section 16 of the Persons with Disabilities Act, 2016 concerning his solitary confinement, compensation for the HRD and intervention in the bail petition before the Supreme Court. The NHRC clubbed this case with another case filed by one Yogesh Mahajan from Delhi (Case No.2428/13/17/2015) and ordered DG prisons to investigate the prison conditions. The HRDA case was closed by the NHRC on January 27, 2020 stating that the report from the prison showed otherwise and that the complainant could not substantiate the case.

The most ironic aspect of the NHRC's failure comes here. Retired Indian Administrative Officer (IAS) S. Jalaja, who was once NHRC's joint secretary and had served as the NHRC's special rapporteur, studied Maharashtra prisons and submitted a report on July 17, 2017. The report revealed harsh truths about the Nagpur prison where Saibaba was detained. These included staff shortage and overcrowding of prisoners among other things. She specifically noted Saibaba's poor medical condition and recommended that "an independent medical team from AIIMS should assess his condition." This NHRC report directly contradicted the investigation report submitted to the commission in the cases filed by the HRDA. While the NHRC relied on the investigation report provided by the police, it chose to overlook its own special rapporteur's report on the prison where Saibaba was detained. If the prison had adequately met his needs, his health would not have deteriorated so severely as to endanger his life. This issue was central to the HRDA's fourth and fifth appeals, filed in 2022 and 2024, concerning prison conditions and compensation respectively.

In addition to these appeals by the HRDA, there were several complaints filed by different activists in this case, all of which were closed in a similar fashion. Even the international community appealed to the Indian government to take proper action in this case on several occasions, including The UN special rapporteurs who issued statements in 2019 and in 2023. None of this prompted the NHRC to act.

More recently, on October 17, 2024, The UN special rapporteur on HRDs referred to Saibaba and said,"There are so many violations against human rights defenders in India and we saw the disabled human rights defender released after [10] years last march and he died last week. He was acquitted but he was left in prison all these years. So India should clean up [its] act".

Despite the international community – and even individuals within the NHRC – becoming aware of the poor prison conditions that contributed to Saibaba's deteriorating health, it was disheartening for an institution with such a mandate to simply dismiss these concerns. The NHRC and its former chairpersons – Justices K.G. Balakrishnan, Cyric Joseph, H.L. Dattu, Arun Kumar Mishra and Vijaya Bharathi Sayani – are answerable to this democracy for the institution's wilful silence on Saibaba's mistreatment. They all owe an apology to the people of this country for failing to exercise their powers to prevent the death of a dedicated academician who devoted his life to civil liberties and the socio-economic and cultural rights of India's vulnerable populations.

Muzaffarpur News: NHRC ने जिलाधिकारी और एसएसपी से 8 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का है मामला

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/muzaffarpur-news-nhrc-asked-for-report-from-district-magistrate-and-ssp-in-8-weeks

Muzaffarpur News: जिले के डीएम और एसएसपी को एनएचआरसी ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले मामले को लेकर तलब किया है। इसे मानवाधिकार का उल्लंघन भी बताया है। 8 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है।

ByAniket Kumar | November 3, 2024 9:47 AM

Muzaffarpur News: कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत के मामले में एनएचआरसी ने जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया है. एनएचआरसी ने मामले को अतिगंभीर माना है. साथ ही इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है. आयोग ने डीएम और एसएसपी को मामले में कार्रवाई करते हुए आठ सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश दिया है.

2014 में मिली थी तीन डिसमिल जमीन

बता दें कि जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदलाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में मौत हो गयी थी. वर्ष 2014 में उन्हें तीन डिसमिल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी. उस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी उस जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं दे रहे थे. अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था.

छठ बाद उमड़ेगी यात्रियों की भीड़

इधर मुजफ्फरपुर जंक्शन का चल रहे नवनिर्माण कार्य के बीच छठ पूजा के बाद उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने की रणनीति बनाने में रेलवे जुट गया है. रेलवे की तरफ से सात नवंबर तक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी लगातार मीटिंग कर व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

पाथ वे के निर्माण पर आपत्ति जतायी गई है

शनिवार को स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह, डीसीआइ नीरज कुमार पांडेय, आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार और जीआरपी प्रभारी रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी का निरीक्षण किया. इस दौरान कई कमियां मिली, जिसपर टीम ने सवाल उठाया है. आरएलडीए की ओर से किये गये पाथ-वे के निर्माण पर आपत्ति जतायी गयी है. इसके अलावा होल्डिंग एरिया की घेराबंदी और बैरिकेडिंग शुरू नहीं की गयी. इस पर भी टीम ने आपत्ति जताई है.

NHRC lens on lack of facilities at Bhadrak consumer forum

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-investigates-lack-of-facilities-at-bhadrak-consumer-forum/articleshow/114923623.cms

Nov 4, 2024, 04.20 AM IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) has directed the district magistrate of Bhadrak to address the alleged absence of essential amenities, particularly toilets, at the district consumer forum's office.

The NHRC issued the order on Oct 30 after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. In his petition, Tripathy highlighted the alleged deplorable state of public facilities at the District Consumer Disputes Redressal Commission's office in Bhadrak. The building lacks essential infrastructure, including toilets, clean drinking water and proper access due to unauthorised vendors blocking the entrance, he alleged.

The petition emphasised that the consumer forum office's deteriorating condition, poor accessibility and insufficient public awareness infringe upon the human rights of 15 lakh residents and consumers seeking justice in Bhadrak district.

Seeking the commission's intervention for improvements, Tripathy's petition outlined the concerning situation at the office, which serves consumers predominantly from disadvantaged sections. The current circumstances violate both human rights and fundamental rights, he contended.

Tripathy urged NHRC to direct relevant authorities to treat the matter as urgent. In response, NHRC instructed the district collector to take necessary steps and provide an action taken report within four weeks.

We also published the following articles recently

Can't deny theft claims due to lack of 'locked safe': Consumer courtGujarat's Consumer Dispute Redressal Commission ruled that insurers can't deny compensation for theft if they knew beforehand the client lacked a 'locked safe'. National Insurance Co Ltd must pay Creative Printers Ltd Rs 2 lakh with interest and Rs 20,000 compensation, despite initial rejection on technical grounds. Thieves breached the office and stole money from a locked drawer.114768613

Human rights body recommends mobile jammers, medical staff at Colvale jailThe Goa Human Rights Commission has recommended significant improvements for Colvale Central Jail, including mobile jammers, CCTVs, international calling facilities, and adequate female medical staff. The jail is in dire need of repairs, privacy in toilets,

proper clothing for inmates, drinking water facilities, mosquito control, and a functional hospital block. The commission urges prompt action within 60 days.114699252

9 benefits of consuming honey with turmericTurmeric and honey offer a potent natural blend with significant health benefits, including anti-inflammatory properties, immune system enhancement, and improved digestion. The mixture also promotes radiant skin, cognitive function, heart health, and weight management. Regular consumption of this combination can lead to overall better health, making it a valuable addition to daily diets.114695432

आदिम जनजाति बिरहोर मौत मामला : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग डीसी से मांगी रिपोर्ट

https://lagatar.in/primitive-tribe-birhor-death-case-national-human-rights-commission-seeks-report-from-hazaribagh-dc/

by Lagatar News November 3, 2024 in झारखंड न्यूज़, दक्षिण छोटानागपुर, हजारीबाग

Hazaribagh: हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड में भारत सरकार की महारत्न कंपनी NTPC के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हज़ारीबाग़ से चार बिंदुओं पर छह सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के रिपोर्ट के आधार पर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने उपायुक्त हजारीबाग को यह लिखा है. परियोजना अंतर्गत बिरहोर टोला के किरणी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी. जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गयी थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह पाया कि बिरहोर टोला, पगार में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे खनन से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है. इसलिए चार बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गयी है.

आदिम जनजाति बिरहोरों की मौत पर प्रशासन की भूमिका पर उठते रहे हैं गंभीर सवाल

एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना को लेकर कंपनी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़ा किए जाते रहे हैं. जिसमें मुख्य रूप से यह कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के खनन स्थल के समीप आदिम जनजाति समुदाय के बिरहोर टोला निवासी नाबालिग किरणी बिरहोर और बहादुर उर्फ दुर्गा बिरहोर की मौत के मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट उपायुक्त हज़ारीबाग़ को भेजा गया था. पांच सदस्यीय जांच दल ने रिपोर्ट में कहा है कि "NTPC द्वारा खनन कार्य बिरहोर टोला, पगार से सटे हुए क्षेत्र में किया जा रहा है. इस क्षेत्र में खनन एवं परिवहन का कार्य होने के कारण बहुत अधिक धूलकण हवा में विद्यमान हैं, जिससे प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है और पगार बिरहोर टोला के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

प्रदूषण के कारण स्वांस एवं अन्य बीमारियों की संभावना बनी हुई है. साथ ही साथ माईनिंग करने के लिए विस्फोट (Explosion) किया जाता है, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है." इसके साथ जांच दल ने जांच रिपोर्ट के मंतव्य में यह लिखा था कि "जब तक बिरहोर परिवारों का पगार बिरहोर टोला से अन्यत्र आवासित नहीं किया जाता है,तब तक बिरहोर टोला के आसपास माइनिंग का कार्य करना श्रेयस्कर नही है", ऐसा कहा गया था. इससे लुप्तप्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की बस्ती पर गंभीर खतरे और जानबूझकर प्रशासनिक अनदेखी की पुष्टि होती है. साथ ही अब तक जांच दल के उक्त मंतव्य के बाद भी खनन कार्य कैसे जारी रखा गया है? इसके अलावे कोल परियोजना के लिए नियुक्त माइन डेवलपर और ऑपरेटर (MDO) Rithwik- AMR Consortium, के माध्यम से किए जा रहे खनन प्रकरण

में स्थानीय प्रशासन,अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी,जिला खनन भूमिका व आदिम जनजाति समुदाय की दो लोगों की मौत के बाद मौत के कारणों को छुपाने और अपनी जिम्मेवारी और दोषियों को बचाने के लिए जिस प्रकार अप्राकृतिक/संदेहास्पद मौत की स्थिती में अनिवार्य पोस्टमार्टम के लिए under section 174(3) of the code of criminal proce,1973 (CRPC) के तहत नहीं कराया गया, उससे जिला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट होती है. इसके अलावे पांच सदस्यीय टीम के मंतव्य पर कोई कार्रवाई नहीं करना जिला प्रसाशन का आरोपियों से मिलीभगत भी स्पष्ट होता दिखता है.

बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने का एप नहीं बना

https://www.msn.com/hi-in/news/bihar/%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%82-%E0%A4%95-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%B6-%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A4%AA-%E0%A4%A8%E0%A4%B9-%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A8/ar-AA1tqVwU

हिन्दुस्तान टीम के द्वारा स्टोरी • 7घंटे • 2 मिनट पढ़ा गया

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने का एप नहीं बना और न अभिभावकों के लिए नियंत्रण एप। राज्य शिक्षा विभाग को स्कूलों के माध्यम से इसे बनाना था। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने इस पर विभाग और पुलिस-प्रशासन से अमल की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने यह भी पूछा है कि स्कूलों में ऑनलाइन बाल शोषण से बचाव के क्या उपाय किए गए हैं। पॉक्सो के सभी नियमों को कड़ाई से लागू करने के प्रयासों पर भी आयोग ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन, विधि, शिक्षा के साथ ही अलग-अलग विभागों को पॉक्सो से जुड़ी गाइडलाइन कड़ाई से लागू कराने को लेकर यह पहल की गई है। इसके साथ ही आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल यौन शोषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक नीरज कुमार ने आयोग द्वारा पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर की गई सिफारिशों को सख्ती से लागू करने के साथ ही मांगी गई रिपोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

क्या है इसका उद्देश्य :

बाल यौन शोषण के मामलों को सामने लाने और बच्चों को इससे बचाने को लेकर शिक्षा विभाग को जिम्मा दिया गया था। इसमें ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानना, साइबर पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा शब्दावली विकसित करना आदि शमिल है। माता-पिता का नियंत्रण इसमें मुख्य तौर पर रखा गया है, जिसमें स्कूलों और संस्थानों को इंटरनेट सुरक्षा को बढ़ावा देने को अभिभावकीय नियंत्रण ऐप का उपयोग करना था।

पीड़ितों को मुआवजा प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश :

आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, जहां प्रशासन मुआवजे के वितरण के लिए मुकदमे के पूरा होने का इंतजार करते हैं, जबकि यह अपराध के तुरंत बाद, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण सहित विभिन्न चरणों में देना होता है। मुआवजे का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसे समय पर वितरित किया जाए।

बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने का एप नहीं बना

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-national-human-rights-commission-requests-report-on-online-child-exploitation-measures-in-schools-201730661083875.amp.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग और पुलिस-प्रशासन से स्कूलों में ऑनलाइन बाल शोषण से बचाव के उपायों की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पॉक्सो के नियमों के कड़ाई से पालन के प्रयासों पर भी जानकारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर

Sun, 4 Nov 2024, 12:41:AM

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने का एप नहीं बना और न अभिभावकों के लिए नियंत्रण एप। राज्य शिक्षा विभाग को स्कूलों के माध्यम से इसे बनाना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर विभाग और पुलिस-प्रशासन से अमल की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने यह भी पूछा है कि स्कूलों में ऑनलाइन बाल शोषण से बचाव के क्या उपाय किए गए हैं। पॉक्सो के सभी नियमों को कड़ाई से लागू करने के प्रयासों पर भी आयोग ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन, विधि, शिक्षा के साथ ही अलग-अलग विभागों को पॉक्सो से जुड़ी गाइडलाइन कड़ाई से लागू कराने को लेकर यह पहल की गई है। इसके साथ ही आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल यौन शोषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक नीरज कुमार ने आयोग द्वारा पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्यवन को लेकर की गई सिफारिशों को सख्ती से लागू करने के साथ ही मांगी गई रिपोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

क्या है इसका उद्देश्य :

बाल यौन शोषण के मामलों को सामने लाने और बच्चों को इससे बचाने को लेकर शिक्षा विभाग को जिम्मा दिया गया था। इसमें ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानना, साइबर पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा शब्दावली विकसित करना आदि शमिल है। माता-पिता का नियंत्रण इसमें मुख्य तौर पर रखा गया है, जिसमें स्कूलों और संस्थानों को इंटरनेट सुरक्षा को बढ़ावा देने को अभिभावकीय नियंत्रण ऐप का उपयोग करना था।

पीड़ितों को मुआवजा प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश :

आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, जहां प्रशासन मुआवजे के वितरण के लिए मुकदमे के पूरा होने का इंतजार करते हैं, जबकि यह अपराध के तुरंत बाद, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण सहित विभिन्न चरणों में देना होता है। मुआवजे का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसे समय पर वितरित किया जाए।

बिरहोर की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग DC से मांगी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला

https://thefollowup.in/jharkhand/news/-human-rights-commission-sought-a-report-from-dc-in-the-birhor-death-case-52011.html

BY Zeb Akhtar Nov 03, 2024

हजारीबाग

हजारीबाग में 2 बिरहोर की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले के केरेडारी प्रखंड में भारत सरकार की महारत्न कंपनी NTPC के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में माइनिंग के प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत हो गयी। इस बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग उपायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हज़ारीबाग़ से 4 बिंदुओं पर 6 सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। लगातार डॉट इन में प्रवीण कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को पत्र लिखा है। बता दे कि परियोजना अंतर्गत बिरहोर टोला के किरणी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी। इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की गयी थी। आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया कि बिरहोर टोला, पगार में NTPC द्वारा किए जा रहे खनन से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ी है।

आयोग ने उपायुक्त से चार इन 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है –

- बिरहोर टोला, पगार में NTPC की ओर से माइनिंग का काम कब से चल रहा है?

- बिरहोर टोला, पगार के निवासियों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं?

- बिरहोर समुदाय किस कारण से NTPC द्वारा निर्मित घरों में स्थानांतरित होने का विकल्प नहीं चुन रहा है और क्या वह स्थान खनन के प्रदूषण से सुरक्षित है?

- NTPC की ओर से माइनिंग शुरू होने के बाद से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच हुई है या नहीं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MSN, Online, 4.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम, एसएसपी को किया तलब

https://www.msn.com/hi-in/news/bihar/%E0%A4%B0-%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AF-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A1-%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA-%E0%A4%95-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%AC/ar-AA1tr0km

हिन्दुस्तान टीम के द्वारा स्टोरी

• 7घंटे • 2 मिनट पढ़ा गया

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (एनएचआरसी) ने कांटी के बिंदालाल गुप्ता के आत्महत्या मामले में डीएम और एसएसपी को तलब किया है। आयोग ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सह अधिवक्ता एसके झा के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों को तलब किया है। आयोग ने इसके लिए दोनों अधिकारियों को सीधे पत्र लिखने के अलावा सूबे के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से भी समन भेजा है।

एनएचआरसी ने इस मामले की सुनवाई गत 30 अक्टूबर को की। इस क्रम में आयोग ने दोनों अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर मामले से जुड़े एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। समय पर एटीआर नहीं देने पर आयोग ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

मामले की आयोग से शिकायत करनेवाले अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि कांटी के रहनेवाले बिंदा लाल गुप्ता ने बीते 4 जुलाई को समाहरणालय परिसर में आत्मदाह कर लिया था। इलाज के क्रम में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद बिंदा के पड़ोसियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कहा गया था कि बिंदा को भू हदबंदी के जरिए मिली तीन डिसमिल जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत उसने स्थानीय अधिकारियों से लेकर डीएम और एसएसपी से कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे निराश होकर उसने यह कदम उठाया।

एसकेए झा ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर एनएचआरसी व बीएसआरसी को आवेदन देकर बिंदा के परिवारवालों को न्याय दिलाने की मांग की थी। एनएचआरसी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक वाद दर्ज किया और सुनवाई शुरू की। इसी क्रम में दोनों अधिकारियों से पूरे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।

HINDUSTAN, Online, 4.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम, एसएसपी को किया तलब

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-nhrc-summons-dm-and-ssp-in-muzaffarpur-suicide-case-of-bindalal-gupta-201730660996149.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कांटी के बिंदालाल गुप्ता की आत्महत्या मामले में डीएम और एसएसपी को तलब किया है। अधिवक्ता एसके झा की शिकायत पर आयोग ने दोनों अधिकारियों से आठ सप्ताह में एक्शन टेकेन रिपोर्ट...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर Man, 4 Nov 2024 12:40 AM

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** ने कांटी के बिंदालाल गुप्ता के आत्महत्या मामले में डीएम और एसएसपी को तलब किया है। आयोग ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सह अधिवक्ता एसके झा के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों को तलब किया है। आयोग ने इसके लिए दोनों अधिकारियों को सीधे पत्र लिखने के अलावा सूबे के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से भी समन भेजा है।

एनएचआरसी ने इस मामले की सुनवाई गत 30 अक्टूबर को की। इस क्रम में आयोग ने दोनों अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर मामले से जुड़े एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। समय पर एटीआर नहीं देने पर आयोग ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। मामले की आयोग से शिकायत करनेवाले अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि कांटी के रहनेवाले बिंदा लाल गुप्ता ने बीते 4 जुलाई को समाहरणालय परिसर में आत्मदाह कर लिया था। इलाज के क्रम में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद बिंदा के पड़ोसियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कहा गया था कि बिंदा को भू हदबंदी के जरिए मिली तीन डिसमिल जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत उसने स्थानीय अधिकारियों से लेकर डीएम और एसएसपी से कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे निराश होकर उसने यह कदम उठाया।

एसकेए झा ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर एनएचआरसी व बीएसआरसी को आवेदन देकर बिंदा के परिवारवालों को न्याय दिलाने की मांग की थी। एनएचआरसी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक वाद दर्ज किया और सुनवाई शुरू की। इसी क्रम में दोनों अधिकारियों से पूरे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।